

341

राजस्व निवासी अधिकारी

मुक्ति R 11/17

8-1407-II-17

मुक्ति द्वारा दाता का नाम
दाता का दिनांक 19-5-17 को
कर्तव्य का दिनांक 19-5-17
पंजीयन का दिनांक 19-5-17

भजूदेवी पत्नी राघवेन्द्रसिंह जाति ठाकुर
निवासी ग्राम पीपरी पुरा जौहा तहो अम्बाह
जिला मुरैनाआवेदिका

बनाम

1-चरनसिंह पुत्र मुरलीधर जाति ठाकुर

2-राजेन्द्रसिंह 3-शिशुपालसिंह

4-महेशराम 5-रामोद्र

पुत्रगण जगन्नाथ सिंह

6-जानकी देवी पत्नी जगन्नाथ सिंह जाति
ठाकुर निवासी ग्राम पीपरी पुरा पोस्ट जौहा
तहो अम्बाह जिला मुरैना

.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 20/04/2017

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय अम्बाह

के प्र०क्रो 05/16-17×अ/6 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मोप्रो भू-राजस्व दाइता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि ग्राम जौहा तहो अम्बाह जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे को 2922 रकवा 0.42 आरे के आवेदिका एवं अनावेदक को 2 लगायत 6 हिस्सा 1/2 - 1/2 के भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी है।

2- यह कि आवेदिका के हिस्सा 1/2 का अनावेदक को 1 द्वारा बयनामा धोखे से करा लिया उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक को 1 द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

3- यह कि आवेदिका द्वारा नामान्तरण में आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रकरण विवादित मान्य कर तहसील में भेजा गया जो तहसीलदार महोदय अम्बाह द्वारा प्र०क्रो 05/16-17×अ/6 पर पंजीयन किया गया ताकर आवेदिका को भेजा पत्र भेजा गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1407-दो/17

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-८-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p>M प्रशासकीय सदस्य</p>	